



नागालैण्ड विश्वविद्यालय NAGALAND UNIVERSITY

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1989, क्रमांक 35 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by an Act of Parliament No.35 of 1989)
मुख्यालय : लुमामी, जिला : जुन्हेबोटो (नागालैण्ड), पिनकोड - 798627
Hqrs : Lumami, Dist. Zunheboto (Nagaland), Pin Code - 798627
वेबसाइट / Website : www.nagalanduniversity.ac.in

No. NUL/HC-29/15- (VOL. II) - 1037

Date: 08/06/2022

NOTIFICATION

Hindi Language Training is essential for all those Non-Hindi Speaking employees who are working under Ministries/Departments of Central Government and its related Offices or subordinate Offices and wherein they don't have the minimum knowledge of Hindi language.

This Hindi Training programme consists of 4(Four) courses i.e., **Prabodh, Praveen, Pragya and Parangat.**

Eligibility Criteria:

- 1. PRABODH:** Those employees/Officers who are not having primary level Hindi Knowledge and whose mother tongue is Kannada, Tamil, Malayalam, Telugu, Mizo, Manipuri or English become eligible for this initial course.
- 2. PRAVEEN:** Those candidates who have qualified Prabodh examination or those Officers/Employees who are not having class Eight level Hindi knowledge and whose mother tongue is Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Nepali, Konkani, Bodo, Santhali, become eligible for this course.
- 3. PRAGYA:** Those candidates who have qualified Praveen examination or those Employees/Officers who are not having High School level Hindi knowledge and whose mother tongue is Marathi, Urdu, Sindhi, Punjabi, Pashto, Kashmiri or Dogari, become eligible for this course.
- 4. PARANGAT:** Those candidates who have qualified Pragya examination and expert in Hindi language become eligible for this course. The training of this course can be availed only through regular classes.

Age Limit: There is no upper age limit.

In this session(July-November, 2022) these courses will be conducted through Online/Offline medium. Interested candidates can send their Name, Designation and Details to the undersigned (Whatsapp No.-9540176311, Email- hindiofficer@nagalanduniversity.ac.in) before 15th June, 2022.

Note: 1. It may be noted that the Central Govt. employees are exempted from payment of examination fee.

2. The Central Hindi Training Institute, New Delhi will provide the study material at free of cost.

Sd/-
(Dr. Abemo)
Registrar

No. NUL/HC-29/15-Vol. II-1037

Copy to:

1. Secretary to the Vice-Chancellor, NU, Lumami for kind information.
2. The Pro-Vice Chancellor, NU KOHIMA/SASRD Campus for information and circulation.
3. PS to Registrar, NU, Lumami for kind information.
4. All concerned (Deans- SETAM/KOHIMA/SASRD, HoD's/Section Heads) for information and circulation.
5. The System Administrator, NU, Lumami, with the request to upload in the university website.
6. Notice Board/ Office File

अशिश कुमार
08.06.22
(Ashish Kumar)
Hindi Officer



नागालैण्ड विश्वविद्यालय

NAGALAND UNIVERSITY

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1989, क्रमांक 35 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by an Act of Parliament No.35 of 1989)

मुख्यालय : लुमामी, जिला : जुन्हेबोटो (नागालैण्ड), पिनकोड - 798627

Hqrs : Lumami, Dist. Zunheboto (Nagaland), Pin Code - 798627

वेबसाइट / Website : www.nagalanduniversity.ac.in

क्रं. सं.- नाविलु/हिप्र-29/15-(खंड- II)-1037

दिनांक: 08/06/2022

अधिसूचना

हिंदी भाषा प्रशिक्षण उन सभी गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और इससे सम्बंधित कार्यालयों या अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत काम कर रहे हैं एवं जिन्हें हिंदी भाषा का न्यूनतम ज्ञान नहीं है।

इस हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 4 (चार) पाठ्यक्रम अर्थात, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत शामिल है।

योग्यता एवं पात्रता :

- 1. प्रबोध :** यह प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण है। इसमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोंकणी तथा अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।
- 2. प्रवीण :** यह पाठ्यक्रम उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है जो प्रबोध की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या जो प्राइमरी स्तर तक हिंदी पढ़ चुके हैं या जिनका हिंदी ज्ञान 8वीं कक्षा से कम है। इसमें मराठी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, और उड़िया-भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
- 3. प्राज्ञ :** यह पाठ्यक्रम उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है जो प्रवीण की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या जिन्हें माध्यमिक स्तर तक हिंदी भाषा का ज्ञान है या जिनका हिंदी का ज्ञान 10वीं कक्षा से कम है। उर्दू, सिंधी, पंजाबी, तथा पश्तो भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- 4. पारंगत :** यह पाठ्यक्रम उन कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए है जिन्होंने प्राज्ञ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। हिंदी भाषा में कार्य करने हेतु उनमें प्रवीणता आ गयी हो। पारंगत का प्रशिक्षण केवल नियमित कक्षाओं के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

आयु सीमा: इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा नहीं है।

इस सत्र (जुलाई-नवंबर, 2022) में इन पाठ्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना नाम, पदनाम व विवरण 15 जून, 2022 से पूर्व अधोहस्ताक्षरी (व्हाट्सएप्प संख्या- 9540176311, email- hindiofficer@nagalanduniversity.ac.in) के पास भेज सकते हैं।

नोट: 1. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गयी है।

2. इन पाठ्यक्रमों में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों को पाठ्य-सामग्री केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नयी दिल्ली द्वारा प्रदान किया जायेगा।

क्रं. सं.- नाविलु/हिप्र-29/15 खंड- II- 1037

भवदीय,
(डॉ. अबेमो)
कुलसचिव

दिनांक- 08/06/2022

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के सचिव को, कुलपति, नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमामी के सूचनार्थ।
2. समकुलपति, नागालैण्ड विश्वविद्यालय कोहिमा/ससार्ड परिसर के सूचनार्थ एवं प्रसार हेतु।
3. कुलसचिव के निजी सचिव को, कुलसचिव, नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमामी के सूचनार्थ।
4. सभी अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष के सूचनार्थ एवं प्रसार हेतु।
5. सूचना पट्ट/कार्यालय प्रति।

आशीष कुमार
08/06/22
(आशीष कुमार)
हिंदी अधिकारी